<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 511 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 24 / 07 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. जगदीश गुर्जर पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर उम्र 66 वर्ष
- 02. छुन्ना उर्फ गंधर्व गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 46 वर्ष
- 03. विजेन्द्र गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 41 वर्ष
- 04. रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र विजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासीगण :— ग्राम अंतरसोहा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण

01. अभियुक्तगण जगदीश, छुन्ना उर्फ गंधर्व, विजेन्द्र गुर्जर एवं रवि उर्फ रविन्द्र पर भा. द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34, 325/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 22/05/2015 की शाम लगभग 04:30 बजे, आरोपी के दरवाजा स्थित ग्राम अतरसोहा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी अहवरन को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी अहिवरन, मोनू, दीपराज, एवं मायादेवी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र ने आहत दीपराज को घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उपहति, अभियुक्त छुन्ना उर्फ गंधर्व ने फरियादी अहिवरन के बाये हाथ के पौंहचा में लाठी से प्रहार कर, अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति, सहअभियुक्तगण ने अहिरवरन, मोनू, दीपराज एवं मायादेवी की लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी अहिवरन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 22/05/2015 की शाम लगभग 04:30 बजे, आरोपी के दरवाजा स्थित ग्राम अंतरसोहा में, आरोपीगण द्वारा गाली–गलीच करने, उसकी लाठी से मारपीट करने, आहत दीपराज की सरिया से मारपीट करने, मोनू एवं मायादेवी की लात–घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने

की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अहिवरन द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 130/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी अहिवरन के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपीगण जगदीश गुर्जर, छुन्ना उर्फ गंधर्व सिंह एवं विजेन्द्र सिंह से एक—एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामे बनाये गये। आरोपी रिव उर्फ रिवन्द्र से लोहे का सरिया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी अहिवरन, आहतगण दीपराज गुर्जर, मायादेवी, मोनू एवं भारत सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी रिव उर्फ रिवन्द्र ने दिनांक :— 22/05/2015 की शाम लगभग 04:30 बजे, आरोपी के दरवाजा स्थित ग्राम अंतरसोहा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत दीपराज की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रिव उर्फ रिवन्द्र ने आहत दीपराज को घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उपहति कारित की?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत सोनू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने आहत सोनू की लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
 - 03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय प्रश्न कमांक : 01 एवं 02

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- फरियादी अहिवरन अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण जगदीश, छुन्ना उर्फ गंधर्व, विजेन्द्र गुर्जर एवं रवि उर्फ रविन्द्र को जानता है, वह उनके गांव अतरसोहा के रहने वाले है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 15 / 11 / 2016 से लगभग एक साल पहले की शाम के समय की है। उस दिन उसकी माँ माया का उसके भाई दीपराज एवं चाचा के लड़के मोनू का आरोपीगण से मुँहवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण ने उन लोगों को गालियाँ दी थी, लात-घुसों एवं लाठियों से उनकी मारपीट की थी और उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा–मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उन लोगों का मेडीकल परीक्षण कराया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी अहिवरन अ.सा.02 ने अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत दीपराज को घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी अहिवरन अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 08. आहतगण / साक्षीगण दीपराज अ.सा.01, मायादेवी अ.सा.03 का सारवान रूप से न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानते हैं, वह उनके गांव अतरसोहा के ही रहने वाले हैं। आरोपीगण द्वारा उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी दीपराज अ.सा.01, मायादेवी अ.सा.03 एवं मोनू अ.सा.04 ने आरोपीगण द्वारा आहत दीपराज की घातक आयुध सिरया से मारपीट किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 09. आहत / साक्षी मोनू अ.सा.04 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जान पर भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपीगण द्वारा उसकी लात—घूसों से मारपीट करने एवं आहत दीपराज की घातक आयुध सरिया से मारपीट करने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रिव उर्फ रिवन्द्र ने दिनांक :— 22/05/2015 की शाम लगभग 04:30 बजे, आरोपी के दरवाजा स्थित ग्राम अंतरसोहा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत दीपराज की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रिव उर्फ रिवन्द्र ने आहत दीपराज को घातक आयुध सिरया से मारपीट कर उपहित कारित की एवं अभियुक्तगण ने आहत सोनू की लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहितयाँ कारित की।

- अभियोजन आरोपीगण जगदीश, छुन्ना उर्फ गंधर्व, विजेन्द्र गुर्जर एवं रवि उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध धारा 323 / 34 एवं 324 / 34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में आरोपीगण जगदीश गुर्जर, छुन्ना उर्फ गंधर्व सिंह एवं विजेन्द्र सिंह से जब्तशुदा एक-एक लाठी एवं आरोपी रवि उर्फ रविन्द्र से जब्तशुदा लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)